मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
948 वल्लभ भवन,भोपाल–462004

कमांक– /1349/2018/20–3 भोपाल, दि0 30/6/2018

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषयः– अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत्।

राज्य शासन एतद् व्दारा अशासकीय संस्था–**हिन्दूपथ पब्लिक स्कूल, रिजौदा रोड़ इमलिया, तह0 आरोन, जिला गुना,** म0प्र0 को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ***अनापत्ति प्रमाण*** पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता हैः–

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी **मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017** में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।

(3) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

(4) संस्था व्दारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा–समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(5) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।

(6) संस्था व्दारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।

निरन्तर...2

(7) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(9) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग व्दारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

(10) शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(11) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्दारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

(13) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग व्दारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

2/ उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

30.6.18

(के0के0व्दिवेदी)
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

949

पृ0 कमांक- /1349/2018/20-3 भोपाल, दि0 30/6/2018

प्रतिलिपिः-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।

निरन्तर...3

(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
(3) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म0प्र0
(4) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–गुना, म0प्र0
(5) निज सहायक, मान0 मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
(6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था–**हिन्दूपथ पब्लिक स्कूल, रिजौदा रोड़ इमलिया, तह0 आरोन, जिला गुना,** म0प्र0
(7) फोल्डर प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

30.6.16

उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग